राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / रापक / भण्डार / मार्कर / 2016 / 05 5-04-16

दिनांक:—

निविदा सूचना

विभाग में 'ईन्डीलेबल इंक मार्कर पैन' की दर संविदा हेतु निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 11.04.2016 से 25.04.2016 को कार्यालय समय तक बेचे जाकर दिनांक 27.04.2016 को दोपहर 1.00 बजे तक कमंरा नम्बर 239 द्वितीय तल स्वास्थ्य भवन, जयपुर में प्राप्त की जाकर उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र. सं.	मद का नाम	सप्लाई अनुमानित संख्या	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा प्राप्त शुल्क
1	ईन्डीलेबल इंक मार्कर पैन	2.41 लाख	45.00 लाख	90,000 रू	500

निविदा प्रपत्र दिनांक 25.04.2016 तक दोपहर 3.00 बजे तक कार्यालय में निर्धारित शुल्क का बैंकर्स चैक / ड्राफ्ट "राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर" के नाम जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते है। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा फार्म एवं निविदा की शर्ते विभागीय वेबसाईट www.rajswasthaya.nic.in पर देखी जा सकती है।

4.4.16

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / रापक / भण्डार / मार्कर / 2016 / दिनांक:—

प्रतिलिपि:—

1. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि निविदा सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं राज्य सरकार के स्टेट पोर्टल पर डलवाये।

4.4.16

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health, Family Welfare, Raj- Jaipur

Technical Bid Check List

S.N.	Particulars	Enclosed (Yes/NO)
1	Bidder should have one year experience in Indelible ink marker pen supply .	
2	Minimum average annual turnover in Indelible ink marker pen supply business should be Rs.................... The turnover statement duly certified and signed by Chartered Accountant will be submitted along with Bid;	
3	Bidder should submit audited balance-sheet.	
4	Attested Copy of PAN & service tax.	
5	Attested copy of Ragistration certificate issued by Competent Authority.	
6	Required Certificates/Licence/Documents should be complete and updated.	
7	Technical undertaking	
8	Annexure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)	
9	Annexure-B (Statement of annual turnover)	
10	Annexure-C (Statement of Past supplies & performance)	
11	Annexure-D (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)	
12	Financial undertaking	
13	Registration Certificate of business estabilishment/business firm, at least in their own name/firms name	
14	Details of the Bidder firm	
15	Bid Secuirty Detail	

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health Family Welfare, Raj- Jaipur

Technical Bid

Details of Bidder

Notice No.................

Bid security :- Rs.

1.	Name of the Firm		
2.	Telephone No.	(Off.)________	(Fax.)_________
3.	Mobile No. E mail ID		
4.	Office Address of the Firm		
5.	Constitution of the Firm whether/Proprietorship /Partnership/Company		
(a)	**In case of Proprietorship Firm __ ____________________**		
	Name, Father's Name and Residential address of the Proprietor:		
(b)	**In case of Partnership Firm ___ __________________**		
	Name, Father's Name and Residential address of all the partners. ___________________________- _____ Note: (Enclose the Registration certificate of Firms or its attested copy/photocopy of Partnership Deed (attach separate sheet if space is insufficient).		
(c)	**In case of Company**		
(i)	Regd. No. of the Company		
(ii)	Name and address of the Directors of the company (Attach separate sheet, if space is insufficient)		

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

6	**BANK DETAILS OF BIDDER** Banker's name with branch Account type Account number		
7	PAN No. of the Bidder ______________ (Enclose a certified copy of the same)		
8	Service Tax No. of the bidder, if applicable. (Enclose a certified copy of the same)		
9	Bid security of Rs. 20,000/- Deposited vide CR No.__________ dated___________ Pay order No.________ _dated_____ drawn on _______________. (Name of Bank & branch)		
	*(To be filled in by the Office)		
		Signature of the bidder with seal	
		Name: ----------------------------	
		Designation ----------------------	

* Attached Bid Security : Bidders Cheque/D.D./Challan Or Cash Receipt with Tech. Tender Bid.

*Attach separate sheet for details, where required.

*In case of authorized representative signing this document, enclose copy of the authority letter.

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएें
राजस्थान, जयपुर

कार्य की अनुमानित लागत: 45.00 लाख रूपये
निविदा बेचने की अंतिम तिथि: 25.04.2016 को कार्यालय समय तक
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 27.04.2016 1.00 PM तक

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन,तिलक मार्ग, सी–स्कीम, राजस्थान जयपुर

इन्डीलेबल इंक मार्कर पेन की दर संविदा हेतु निविदा एवं अनुबंध की शर्ते एवं विनियमन (वर्ष 2016–17)

General terms & conditions of Bid & Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to proucurement "The Rajasthan Transparency in Pubilc Prourement Act, 2012"[hereinfafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules will prevail.

निविदादाता को निविदा में अपनी दरें अंकित करते समय इन शर्तो को बहुत सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिए। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिय।

1. निविदा, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द कर पूर्ण रूप से भरी गई निविदा के साथ निर्धारित राशि डी.डी/बैंकर चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें स्वास्थ्य भवन जयपुर के पत्ते पर दिनांक 27.04.2016 को 1.00 बजे तक कार्यालय में जमा करा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2. निविदादाता द्वारा निविदा दो रूपों में यथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफो पर क्रमशः तकनीकी निविदा एव वित्तीय निविदा अंकित करे तथा दोनो बन्द लिफोफो को एक बडे लिफाफे में सीलबन्द कर जमा कराने होंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

3. तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में भरा हुआ निविदा प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज जो मांगे जा रहे है रखे जायेगे। **निविदादाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होगे। यदि किसी निविदादाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफे में दिया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।**

4. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 27.04.2016 को सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जावेगा। निर्धारित समय में कोई निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएें
राजस्थान, जयपुर

निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगीं।

(अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बीड खोली जायेगी, तकनीकी बीड़ के साथ निविदादाता सेम्पल इन्डीलेबल इंक मार्कर पेन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा एवं तकनीकी समिति की राय के उपरान्त सफल निविदादाता की ही वित्तीय बीड़ खोली जावेगी।

(ब) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बीडर की ही वित्तीय बीड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी बीड में सफल निविदादाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होगे।

5. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सील से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नही किया जावेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त निबन्धो एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा।
6. निविदादाता के पास सामग्री आपूर्ति संबंधी कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
7. निविदादाता के पास स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
8. निविदादाता का वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रू. होना आवश्यक है।
9. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंको के साथ साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
10. निविदा माल/सामग्री आपूर्ति व्यवसाय हेतु पंजीकृत एकल स्वामित्व, फर्म, कम्पनी, संस्था/सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिये, इस तथ्य का प्रामाणिक अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदाकार के पास स्वयं के नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।
11. तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेज प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत किये जाने चाहियें

I निविदाता के समपूर्ण जानकारी प्रपत्र (Detail of bider)
II.टर्न ओवर प्रमाण–पत्र एवं बैलेस शीट
III पैन कार्ड व वैट क्लीयरेंस प्रमाण–पत्र
IV निविदादाता/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र
V प्रतिभूति राशि का विवरण
VI Technical undertaking
VII Annexure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)
VIII Annexure-B (Statement of annual turnover)
IX Annexure-C (Statement of Past supplies & performance)
X Annexure-D (Afficavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)
XI Financial undertaking

12. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्यके साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर आफ अर्टोनी प्रस्तुत किया जाना आदश्यक है। निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन के नया साझोदार स्वीकार नहीं करे तब तक फर्म मे कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

   निविदाकार कम्पनी/ सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा भरी जावेगी।प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

13. निविदा दाता अपनी निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

14. दरें अनुबन्ध की तिथी से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। अनुमोदित प्रदाय कर्ता उक्त इन्डीलेबल इंक मार्कर पेन का निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं अच्छी हालत में उपयुक्त तरीके से अधिनस्थ कार्यालयों के आपूर्ति आदेश के अनुसार विधिवत प्रदाय करेगा। उक्त शर्तो का पालन करेगा, उन्हे बनाये रखेगा तो अधिनस्थ कार्यालयों के माध्यम से प्रत्येक इन्डिलेबल इंक मार्कर पेन के लिए देय राशि का भुगतान किया जावेगा।

15. बोली प्रतिभूति (Bid Security}:–

(1) दर संविदा, के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का2 प्रतिशत होगी

(2) बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।

(3) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

16. बोली प्रतिभूति का समपहृत (Forfeiture of Bid Security)

(1)बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात् :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है ;

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार,
यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;
(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है ;
(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ;
(ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(2) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में
समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

17. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (**Period of validity of bids**):–

(1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, की बोली कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।

18. **SPECIFICTION OF INDELIBLE INK MARKER PEN**

1. Usable for minimum impression on 500 children under Pulse Polio Programme.
2. The impression put on the finger of children should last at least 7 days from the day of marking.
3. Shelf life of the pen should not be less than three months from the date of supply and minimum 15 days from the opening of marker pen.
4. The indelible marker pens should be reliable, non-toxic, and safe for use on children for finger marking.
5. Colour: Violet, later on with time it should become black.
6. It should produce instant impression on the nail as well as on the skin.
7. Sample of Marker pen should be sent along with the quotation.
8. The following information should be submitted:
   - No. of imprssion one Marker pen is claimend to make.
   - Shelf Lite of Marker Pen.
   - Experience of manufacturing and supplying such type of indelible Marker pens to other States.

19. भेजा जाने वाला सामान सुरक्षित एवं सही मात्रा में इण्डेन्ट कर्त्ता कार्यालय स्टोर पर पहुचाने की अवधि 30 दिवस होगी। यदि 30 दिवस में इन्डीलेवल इंक मार्कर पेन आपूर्ति नही किये गये तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार (Liquidated Damages) राशि वसूली की जावेगी।

20. परिसमापित नुकसानी (**Liquidated Damages**):–परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:–

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए — 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए; — 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए — 7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए। — 10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करने समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

21. भुगतान :—

1. निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवायें (प0क0) राजस्थान जयपुर के अधीन कार्यालयों को इन्डीलेबल इंक मार्कर पेन प्रदाय करने पर भुगतान अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किया जायेगा।

2. प्रदाय कर्त्ता दर संविदा की शर्तो में दिये गये तरीके से उक्त मार्कर पेन की आपूर्ति निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न नमूने के अनुसार विधिवत करेगा।

3. उक्त इन्डीलेबल इंक मार्कर पेन फर्म को अपने खचे पर विभाग से आदेश मिलने पर निर्धारित अवधि में सप्लाई करने होगे इसके लिए दर के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय जैसे (पैकिंग/परिवहन आदि) देय नही होगा।

22. विभाग के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

23. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

24. यदि निविदाकार कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पन्न कराई जावेगी। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्जे खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।

25. अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह मे नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि मे से तुरंत कर ली जावेगी। तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो बैंक गारंटी से तुरंत राशि वसूल कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

26. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविददाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

27. विवाद की स्थिति में निदेशक (प0क0) का निर्णय अन्तिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।

28. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पडे तो दोनो पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेशन के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवशकयता पड़े तो जयपुर (राजस्थान) स्थित न्यायालयो में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं।

29. संविदा का समय संविदाकार एवं विभाग की आपसी सहमति से अधिकतम तीन माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

30. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तो पर विचार नहीं किया जावेगा तथा शर्ते उक्त शर्तों में सम्मिलित होने से रह गई हैं वे सामान्य वित्त एंव लेखा नियम एवं RTPP ACT एवं Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होगी।

निदेशक (आर.सी एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

31. बोलीदाता द्वारा पैन कार्ड की छाया प्रति एवं वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा से साथ पेश की जावेगी।

32. **बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन ओर उपान्तरण (Withdrawal, Substitution and Modification of bids):–**बोलीलगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृतप्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरितलिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन याउपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेऔर इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से''प्रत्याहरण'', ''प्रतिस्थापन'' या ''उपान्तरण''अंकित हो ; और

(ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिमसमय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्तकरने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्तकिया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डालदिया जाये।

(1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है,बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरणबोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहींकिया जायेगा।

33. **वित्तीय बोलियोमें अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correction of arithmetic errors in financial bids):–** बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी,:–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावीहोगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

34. **राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना:–** उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

35. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकारः–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

36. **परिमाण में परिवर्तन का अधिकार(Right to vary quantity):–**

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐंसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने केपश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और
(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

37. **Fall clause :–** यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

38. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing Quantites among more than onebidder at the time of award):–**सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(3) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर, रू. 1000/–मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।

(4)करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

42. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity):– उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,

(1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

43. हित का विरोध (Conflict of interest):–

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल. 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

39. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security):– सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :–

(1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

(2) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

40. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Performance Security):– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

(1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(2) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूतिको समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

41. करार का निष्पादन (Execution of agreement):–

(1) सफल बोली लगाने वाले, को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।

(2) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

(2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमे निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

44. **बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंगः**–अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3)और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

45. **अपील का प्रारूपः–**

(1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

निदेशक (आर पी जैन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

46. अपील फाइल करने के लिए फीसः–

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

47. अपील के निपटारे की प्रक्रियाः–

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी।

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

(5) विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक NHM एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य होगे।

निदेशक (आर.सी.एच.)
निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर
सहित

निविदादाता के हस्ताक्षर,
दिनांक व पूर्ण पता मोहर

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

प्रारूप सं. 1

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
(i) अपीलार्थी का नाम :
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :
(iii) आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियो) का नाम और पता :
(i)
(ii) .
(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसकेविरूद्ध अपील की गयी है औरअधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम,जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपिसंलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों केउल्लंघन में उपापन संस्था के किसीविनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससेअपीलार्थी व्यथित है :

4.यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वाराप्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करताहै तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रोंऔर दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :
....
....
.... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना : ....
....
....

स्थान : ....
तारीख : ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

TECHNICAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditios of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the supply of Indelible ink marker pen at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We wil assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid etc. and the instuctions issued by the Director Medical & Health (F.W) from time to time.

I am/we are enclosing the following documents as per the terms and conditions of the Bid:

1. DD/BC/BG bearing No. ....Dt...................................for Rs. ..../- {.....................................} drawn on- ....on Bank toward Bid security.
2. Affidavit attested by a notary to that effect that the bidder has no past or present criminal record with the Policy/Vigilance of CS Deptt./Vigilance and enforcement Deptt,. Govt. of Rajasthan or Govt. of any other state/ Govt. of India.
3. Affidavit stating that the bidder or any of the prtners or repersentaives were never blacklisted the Central Government/ any State Government/any Union Territory/State Agency at time or convicted by Court of Law in a criminal case.
4. Copy of the partnership deed along with permanent and present addresse of the parthers in case of a Firm.
5. Copy of the Registration certificate, if it is firm/Limited Company.
6. Copy of the Registration certificate PAN/Service tax up to date.

I/We herby affirm that the department is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid Document, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.

Date:- Signature of the bidder

Place:- Name:

Address:

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

Annexure-A

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

in relation to my/our Bid submitted to ....For suppiy of Indelible ink marker pen ....in response to their Notice Inviting Bids No. ....Dated .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Tranparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Designation:

Address:

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

Annexure-A

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

in relation to my/our Bid submitted to ....For supply of Indelible ink marker pen ....in response to their Notice Inviting Bids No. ....Dated .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Tranparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Designation:

Address:

निदेशक (आर.सी.एच.)
परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

ANNEXURE-B

STATEMENT OF ANNUAL TURNOVER

The average annual turnover of M/s. ________________________________ address ________________________________ ________________________ for the past one year is and certified that the statement is true and correct.

S. NO.	Financial Years		Turnover in Lacs (Rs)
1.		-	
2.		-	
3.		-	
	Total	-	Rs. ______________ Lacs

Average turnover per annum - Rs. ______________ Lacs

Date:-
Place:-

Signature of Auditor/Seal
Chartered Accountant
(Name & Address)
Tel. No.
Mob. No.

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

ANNEXURE-C

STATEMENT OF PAST SUPPLIES AND PERFORMANCE

We.. (Name of firm) do hereby undertake that we have performed the supply of Indelible ink marker pen as per details given below:-

Calendar Year	Order Placed by [full address of purchaser with telephone & Fax no.]	Order No. and Date	Date of Completion of delivery		Remarkes indicating reasons for late delivery, if any	Has the work cantred satisfactory ?
			As per contract	Actual		
1	2	3	4	5	6	7
2014-15						

Note:-

1. It should be submitted with technical Bid.
2. The above information may be verified from relevant documents of bidder.

Date:-
Place:-

Signature of bidder with Seal
Name
Address

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

Annexure-D

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME.......................................

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptace and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Connditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without andy deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/ unethical means in including cartlization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Name of Bidder with Signature and Seal

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/ us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders Director of Medical & Health (RCH) Jaipur from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5 % on the total value of the cost of the quantity for supply, within seven (7) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement. I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/ our Bid security stand forfeited if I/we fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within seven (7) days of acceptance of my/our Bid and I/we will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non–fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER
NAME:
ADDRESS:

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–एफ.11(118)/रापक/भण्डार/परिवहन/2016–17/ दिनांक :–

वित्तीय बीड़

1. इन्डीलेबल इंक मार्कर पेन की आपूर्ति हेतु एक वर्ष लिए दर संविदा।
2. निविदा दाता का नाम : ....

   डाक का पूरा पता : ....
3. सम्बोधित : निदेशक (आरसीएच) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें राज. जयपुर।
4. संदर्भ : निविदा सूचना क्रमांक : .... दिनांक ....
5. आपूर्ति किये जाने वाले सामान की दरें निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	आइटम	दर प्रति इन्डीलेबल इंक मार्कर पेन (समस्त व्यय एवं कर सहित)	
		अंको में	शब्दों में
1	इन्डीलेबल इंक मार्कर पेन उल्लेखित स्पेसिफिकेशन के अनुसार।		

निविदादाता के हस्ताक्षर व पता

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा एवं कल्याण सेवायें
राजस्थान, जयपुर